संख्या–77/2017/xxvii-8/01(A)(120)/2001

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त, कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8

देहरादून दिनांक: 31 जनवरी, 2017

विषयः– सीजन वर्ष 2016–17 के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–966/2016/xxvii-8/01(A)(120)/2001, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड ईंट–भट्टा निर्माताओं द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सीजन वर्ष 2016–17 के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना को संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से लागू करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

Letter section/

उत्तराखण्ड ईंट भट्टा निर्माताओं द्वारा, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत विशिष्ट इंगित मदों के कय–विकय पर, देय मूल्य वर्धित कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) के अर्न्तगत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में भट्टा सीजन वर्ष 2016–2017 हेतु शासन के निर्देश।

(1) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा वर्ष 2016–2017 (दिनांक 01–10–2016 से 30–09–2017 तक की अवधि में), जिसको आगे "सीजन वर्ष" कहा गया है, निर्मित ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिकी और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के स्थान पर एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है।

(2) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में उन ईंटों के निर्माता व्यापारियों, जिसमें ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित हैं जो ईटों के निर्माण/बिकी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की खरीद/ बिकी का भी व्यापार करते हैं, द्वारा केवल अपने भट्टे से स्व–निर्मित ईंटों, ईट के रोड़ों और ईंट भट्टा में निर्मित टाइल्स तथा राबिस की बिकी तथा ऐसी ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त सीजन वर्ष के लिये देय कर के विकल्प में समाधान राशि स्वीकार की जाएगी। अन्य वस्तुओं की खरीद/बिकी पर विधि के अनुसार कर देय होगा जो समाधान राशि के अतिरिक्त होगा।

(3) गत "सीजन वर्ष" (दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016) में जिन ईट निर्माताओं ने विधि के अनुसार देय कर के विकल्प में शासन के निर्देश के अधीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, उनमें से जिनके द्वारा सभी देय किस्तें उन निर्देशों/शर्तों के अनुसार जमा नहीं की है, ऐसे ईट निर्माता सीजन वर्ष 2016–17 (01–10–2016 से 30–09–2017 तक) के लिए इन निर्देशों के अधीन उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प देने के अधिकारी नहीं होंगे, जब तक कि वे गत "सीजन वर्ष" के लिए कुल देय समाधान राशि, उस पर कुल देय ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण–स्वरुप चालान अपने कर–निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर देते।

(4) सीजन वर्ष 2016–17 के लिये समाधान राशि निम्नवत् होगी:–

भट्ठे की श्रेणी	वर्ष 2016–17 के लिये समाधान राशि प्रति भट्ठा
15 पाये तक	180000
16 पाये तक	206000
17 पाये तक	245000
18 पाये तक	290000

19 पाये तक	338000
20 पाये तक	389000
21 पाये तक	444000
22 पाये तक	523000
23 पाये तक	602000
24 पाये तक	679000
25 पाये तक	769000
26 पाये तक	857000
27 पाये तक	953000
28 पाये तक	1049000
29 पाये तक	1147000
30 पाये तक	1253000
31पाये तक	1356000
32 पाये तक	1466000
33 पाये तक	1565000
34 पाये तक	1673000
35 पाये तक	1783000
36 पाये तक	1885000
37 पाये तक	1990000
38 पाये तक	2098000
39 पाये तक	2202000
40 पाये तक	2304000

(5) स्पष्टीकरण :–

(क) किसी भी भट्टे में पायों की संख्या वह संख्या होगी, जो भट्टे की चौड़ाई में अन्दर की दीवार से बाहर की दीवार के बीच एक लाइन या रोंस में चट्टों की संख्या है, किन्तु ऐसी किसी भी चट्टे की चौड़ाई भट्टे की चौड़ाई के समानान्तर एक ईट की लम्बाई से अधिक नहीं है। यदि किसी पाये की ऐसी चौड़ाई एक ईट की लम्बाई से कम है तब भी समाधान राशि गणना हेतु इसे पूरा पाया माना जाएगा।

(ख) यदि किसी व्यापारी के एक से अधिक भट्टे हैं अथवा कोई भट्टा उसने लीज पर लिया है तो उसके सभी भट्टों में से प्रत्येक भट्टे की श्रेणी उपरोक्तानुसार निर्धारित करते हुए अलग–अलग समाधान राशि ऊपर उल्लिखित दरों पर देय होगी।

(ग) यदि किसी भट्टे में एक ही समय में दो या अधिक स्थानों पर फुकाई करके उत्पादन किया जाता है तो समाधान धनराशि की गणना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक फुकाई के स्थान को एक भट्टा मानते हुए उसकी श्रेणी के अनुसार उपरोक्त दरों से समाधान धनराशि देय होगी।

(घ) यदि प्रार्थी फर्म का विघटन हो जाता है तो नयी फर्म द्वारा देय समाधान राशि सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर आयुक्त कर द्वारा स्वयं निश्चित की जायेगी। विघटन के पूर्व की निर्माता फर्म द्वारा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी फर्म का विघटन के बिना पुनर्गठन किया जाता है, जिसके लिये नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद की इकाई एक ही इकाई मानी जायेगी तथा पूर्व में निर्धारित समाधान राशि पूरे वर्ष के लिये लागू रहेगी।

(6) इस योजना में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी संलग्नक प्रारुप–1 में प्रार्थना पत्र अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को भट्टा सीजन 2016–17 के सम्बन्ध में दिनांक 15.02.2017 तक प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ प्रारुप–2 में शपथ पत्र भी संलग्न किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ देय समाधान राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा किये जाने का प्रमाण (सम्बन्धी चालान) भी संलग्न किया जायेगा। सामान्य रुप से प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(7) यदि कोई ईट निर्माता ऊपर निर्धारित समय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सका हो तो वह ऊपर बिन्दु (6) के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित समाधान राशि के प्रमाण सहित, एवं उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद हुई देरी के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण सहित, आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रस्तुत कर सकता है।

(8) धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी कारणवश उसे वापस लेने का अधिकार किसी भी ईट निर्माता का न होगा।

(9) इस योजना के अर्न्तगत देय समाधान राशि निम्नवत जमा की जायेगी :–

क्र0सं0	देय राशि	जमा की समय–सीमा भट्टा सीजन 2016–17 हेतु
1	समाधान राशि का 20 प्रतिशत	प्रार्थना–पत्र के साथ (दिनांक 15.02.2017 तक)
2	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 26.02.2017 तक
3	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 31.03.2017 तक
4	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 30.04.2017 तक
5	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 31.05.2017 तक
6	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	दिनांक 30.06.2017 तक

(10) यदि ऊपर निर्धारित अवधि तक देय राशि जमा नहीं की जाती तब उक्त तिथि के बाद की ठीक अगली तिथि से राशि जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ईट निर्माता के विरुद्ध देय समाधान राशि की बकाया राशि की वसूली माल गुजारी की बकाया की वसूली की भांति भी की जायेगी और उसके विरुद्ध यथास्थिति अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) यदि कोई ईट निर्माता व्यापारी उपर प्रस्तर (6) या यथास्थिति प्रस्तर (7) में निर्धारित तिथि तक धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र नहीं देते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह विधि के सामान्य प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिर्टन प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(12) किसी ईट निर्माता को यह विकल्प नहीं होगा कि वह सीजन वर्ष की आंशिक अवधि अथवा अपने कुल ईट भट्टों में से एक या कुछ भट्टों के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान राशि का विकल्प प्रस्तुत करे तथा शेष भट्टों के सम्बन्ध में सामान्य प्राविधान के अन्तर्गत मूल्य वर्धित कर जमा करें।

(13) यदि किसी नये ईट निर्माता व्यापारी द्वारा नए खुदे भट्टे में पहली फुकाई "सीजन वर्ष" में दिनांक 01–04–2017 को या उसके बाद प्रारम्भ की जाती है तो ऐसे भट्टों में निर्मित ईट, टाइल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़े और राबिस की उक्त "सीजन वर्ष" की शेष अवधि में की गयी बिक्री तथा उसी अवधि में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, लकड़ी, कोयला और लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के विकल्प में देय एक मुश्त राशि ऊपर प्रस्तर (4) में देय समाधान राशि का 75 प्रतिशत ही होगी। सीजन वर्ष 2016–17 में दिनांक 31–03–2017 तक कभी भी फुकाई प्रारम्भ करने पर ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित समाधान राशि ही देय होगी। ऐसे ईट निर्माता को अपना प्रार्थना पत्र प्रारुप–1 में शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित फुकाई प्रारम्भ करने के 30 दिन के अंदर अथवा दिनांक 15.02.2017 तक, जो भी बाद में पड़े, प्रस्तुत करना होगा। ऊपर प्रस्तर (5) के स्पष्टीकरण (घ) में इंगित, ऐसी फर्म जिसका विघटन धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड़ (ङ)(ii) के अन्तर्गत हो गया है, अपना प्रार्थना पत्र प्रारुप–1 में तथा शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित आयुक्त वाणिज्य कर को विघटन के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी। सामान्य रुप से यह अवधि आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा बढ़ायी जा सकती है, लेकिन, उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए निर्धारित दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा।

(14) ऊपर प्रस्तर (13) में इंगित नये ईट निर्माता द्वारा देय एकमुश्त राशि (समाधान राशि) भी प्रस्तर (9) की व्यवस्था के अनुसार ही जमा की जायेगी।

(15) समाधान राशि का विकल्प देने वाले किसी ईट निर्माता द्वारा अपने किसी भट्टे के पायों में वृद्धि की जाती है तो इसकी सूचना उन्हें अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी होगी तथा ऐसे भट्टे के सम्बन्ध के बढ़े हुए पायों की संख्या के आधार पर "सीजन वर्ष" के लिए ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित एकमुश्त जमाराशि देय होगी।

(16) यदि वाणिज्य कर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा भट्टे में पायों की संख्या ईट निर्माता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है और ईट निर्माता उस संख्या को स्वीकार करता है तब उसे भट्टे के सम्बन्ध में सीजन वर्ष के लिए अधिकारी द्वारा पाई गई संख्या के आधार पर समाधान राशि देय होगी।

(17) यदि ईट निर्माता, अधिकारी द्वारा पाये गए पायों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तब सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन), वाणिज्य कर तत्काल अन्य किसी एक डिप्टी कमिश्नर अथवा दो असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा जांच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा भट्टे की जांच के आधार पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन), वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित पायों की संख्या अंतिम मानी जायेगी और तद्नुसार देय समाधान राशि निर्धारित होगी।

(18) ऊपर प्रस्तर (15), (16) तथा (17) के अनुसार यदि समाधान राशि पुनरीक्षित होती है तब प्रस्तर (4) अथवा यथास्थिति प्रस्तर (13) के अनुसार देय राशि भी पुनरीक्षित होगी और प्रत्येक किश्त से सम्बन्धित बकाया राशि पर उसके जमा किये जाने की तिथि के बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(19) यदि सीजन वर्ष में किसी भट्टे के केवल स्थान में ही परिर्वतन किया जाता है, किन्तु पायों की संख्या तथा ईट निर्माता फर्म के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस सीजन वर्ष के लिए अन्यथा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(20) देर से फुकाई प्रारम्भ करने, प्रारम्भ ही न करने अथवा अन्य किसी कारण से प्रस्तर (4) अथवा प्रस्तर (13) में देय समाधान राशि में कोई कमी/परिवर्तन न होगा।

(21) प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईट भट्टों आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग की स्थिति में प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जाएगा। साथ ही यदि कर निर्धारक प्राधिकारी उचित समझें तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार भी हो सकता है तथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। विपरीत बिन्दु पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन), वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा और कर निर्धारक प्राधिकारी तथा ईट निर्माता द्वारा मान्य होगा।

(22) इस योजना के स्वीकार करने वाले, ईट निर्माता व्यापारी कोई धनराशि वैट के रुप में ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। यदि वह वसूल करते हैं तो उनके द्वारा ऐसी धनराशि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और की गई ऐसी वसूली के लिए धारा 58 में कार्यवाही भी की जायेगी।

(23) समाधान योजना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले ईट निर्माता व्यापारियों को ईट निर्माण हेतु कोयला आयात करने के लिये समाधान राशि को ही कर मानते हुए उसके आधार पर विक्रयधन का

आंकलन करते हुए, ऐसे आंकलित विक्रय धन से निर्मित ईटों की संख्या का अनुमान किया जायेगा और उसी के आधार पर कोयला आयात करने के लिये आयात घोषणा पत्र तथा फार्म–"सी" सम्बन्धित ईट निर्माता व्यापारी को नियमानुसार जारी किये जायेंगे।

(24) यदि अत्यधिक भीषण दैवी आपदा जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रुप से तबाही होती है, जिसमें योजना के अन्तर्गत समाधान कराने वाले ईट निर्माता को भी क्षति होती है और ईट निर्माता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा तुरन्त जांच करायी जायेगी ताकि तथ्यों का सत्यापन हो सके, तब शासन द्वारा अन्य व्यापारियों को दी जा रही सुविधा के साथ ऐसे ईट निर्माता को भी सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

(25) उत्तराखण्ड ईट निर्माता संघ, एवं ईट निर्माता जिला समितियां भी उन भट्टों के शपथ–पत्र की तसदीक कर सकेंगी, जिनके द्वारा समाधान योजना करने का विकल्प दिया जाए।

(26) सीजन वर्ष 2016–17 हेतु ईंट भट्टा निर्माताओं के लिए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित योजना को बिना कारण बताये समाप्त करने अथवा निर्धारित समाधान धनराशि में वृद्धि अथवा कमी करने अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू होने की दशा में, वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि के बाद ईंट भट्टों पर करदायित्व वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित होगा।

(27) यह योजना दिनांक 30.09.2017 तक अथवा उस समय तक, जब तक कि राज्य सरकार योजना को समाप्त नहीं कर दे या वस्तु एवं सेवा कर लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए लागू रहेगी।